147

-1-

COURT FEE भारत INDIA TWENTY RUPEES

समक्षः माननीय राजस्व मण्डल, ग्वालियर (म0प्र0)

R-1710-PBR/12

प्रकरण क्र. /2012

प्रार्थी : राकेश पुत्र श्री सरदार सिंह निवासी– ग्राम सडावता तहसील लटेरी जिला– विदिशा

विरूद्ध

प्रत्यर्थी :

1. कमला बाई पुत्री श्री नारायण सिंह जाति– बेडिया निवासी– ग्राम सडावता तहसील लटेरी जिला– विदिशा (म0प्र0)
2. कुसुम बाई पुत्री श्री नारायण सिंह जाति– बेडिया निवासी– ग्राम बादलगढ़ तहसील राघौगढ़ जिला– गुना (म0प्र0)
3. सरदार सिंह पुत्र श्री नारायण सिंह जाति– बेड़िया निवासी– ग्राम सडावता तहसील लटेरी जिला– विदिशा (म0प्र0)

PRESENTED BY: NISHANT GUPTA ADV.

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, सिरोंज द्वारा प्रकरण क्रमांक 28/अपील/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 25.04.2012 के विरूद्ध धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता के अंतर्गत निगरानी प्रस्तुत है।

प्रार्थी की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है:–

1. यह कि, प्रार्थी द्वारा ग्राम सडावता स्थित भूमि ख.क्र. 8, 10, 11 रकवा क्रमशः 1.619, 4.553, 2.352 किता. 3 कुल रकवा 8.524 हेक्टेयर में से रकवा 1.705 हेक्टेयर पर वसीयतकर्ता सम्पद बाई द्वारा रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 16.3.01 के आधार पर अपने नाम नामांतरण कराने का आवेदन पेश किया गया था।

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 1710–पीबीआर/12 जिला – विदिशा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16.11.16	यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला विदिशा के प्रकरण कमांक 63/निगरानी/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 25–4–12 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में विस्तार से उल्लिखित होने से उन्हें पुनः दोहराने की आवश्यकता नहीं है। 3/ प्रकरण में दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रकरण में लिखित तर्क पेश करने हेतु समय चाहा गया था, जिस पर से उन्हें समय दिया गया परंतु लिखित बहस केवल अनावेदक कमांक 1 एवं 2 की ओर से पेश की गई है, आवेदक की ओर से आज दिनांक तक लिखित बहस पेश नहीं की गई है । अतः प्रकरण का निराकरण उनके द्वारा निगरानी मेमो में दिए गए आधारों एवं अनावेदक कमांक 1 एवं 2 द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस में उठाये गये तर्कों के आधार पर किया जा रहा है । 4/ अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह प्रकरण नामांतरण का है प्रकरण में नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 29–4–10 के आदेश द्वारा आवेदक के पक्ष में निष्पादित तथाकथित वसीयत को अमान्य कर वारिसों का नामांतरण स्वीकार किया गया । इस आदेश के विरूद्ध अपील होने पर अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 23–10–10 द्वारा अपील स्वीकार की एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को विधिवत	

R.-1716 PBR/12 (विविध)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	कार्यवाही पश्चात आदेश पारित किए जाने हेतु प्रत्यावर्तित किया । इसके उपरांत तहसीलदार ने दिनांक 22–2–11 को आदेश पारित कर आवेदक का नामांतरण वसीयत के आधार पर किए जाने के आदेश दिए हैं । इस आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में अनुविभागीय अधिकारी ने दिनांक 31–12–11 को आदेश पारित करते हुए प्रकरण तहसीलदार को पुनः इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि वे स्वत्व की विधिवत जांच कर एवं नियमों के पालन तथा हिन्दू विधि के प्रावधानों को ध्यान में रखकर वैधानिक आदेश पारित करें । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में निगरानी पेश की गई जो अपर कलेक्टर ने निरस्त की है । अपर कलेक्टर द्वारा अपने आदेश में निकाला गया यह निष्कर्ष उचित है कि वसीयत उसी भूमि की की जा सकती है जो वसीयतकर्ता द्वारा स्वअर्जित की गई हो पैत्रिक भूमि की नहीं प्रस्तुत प्रकरण में जो भूमि है वह सम्पतबाई की स्वअर्जित है या पैत्रिक इस बात की कोई जांच प्रकरण में नहीं हुई है, जिसकी जांच किए बिना निर्णय लिया जाना उचित नहीं है । अतः उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के प्रत्यावर्तन आदेश को स्थिर रखते हुए आवेदक की निगरानी निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अपर कलेक्टर का आदेश उचित एवं न्यायिक है जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है । उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखा जाता है । सदस्य	